



दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार,
कार्यालय : सहायक आयुक्त (श्रम कल्याण),
'बी' बिल्डिंग, वरुणालय, करोल बाग,
नई दिल्ली-110005

क्रमांक:दिजबो/सो आओ (श्र.क.)/छात्रवृत्ति/2017-18/69843 दिनांक : 16-11-17

परिपत्र

विषय: दिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को वर्ष 2017-18 के लिये छात्रवृत्ति देने के संबंध में ।

श्रम कल्याण विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या : 33000 से 33267 दिनांक : 22.05.2017 द्वारा बताये गये नियम व शर्तें इस परिपत्र के जारी होने के उपरान्त लागू नहीं होगी पूर्व में जारी किये गये नियम व शर्तें ही यथावत रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड के समस्त स्थायी/अस्थायी कर्मचारी जो 'सी' श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तथा जिन्होंने दिल्ली जल बोर्ड में लगातार 3 वर्ष की सेवा-अवधि पूरी कर ली है व दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उन सभी दैनिक वेतन भोगी (मस्ट्रोल) कर्मचारी को जिन्होंने पूर्व तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिनों की उपस्थिति दर्ज की है उनके भी 'अविवाहित' आश्रित शिक्षारत पुत्र/पुत्रियों के लिए भी वर्ष 2017-18 में छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। जिन श्रेणी 'सी' के कर्मचारियों द्वारा विभाग से शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति ली जा रही है वे कर्मचारी भी अपने प्रथम दो बच्चों के लिए छात्रवृत्ति के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी श्रेणी 'सी' के कर्मचारी को ए.सी.पी./एम. ए.सी.पी. का लाभ मिलने के कारण उनका वेतनमान श्रेणी 'बी' का हो गया है परन्तु उनका पद श्रेणी 'सी' का ही है वे कर्मचारी भी अपने बच्चों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति निम्नलिखित शर्तों पर केवल प्रथम दो बच्चों के लिए प्रदान की जायेगी।

छात्रवृत्ति छठी कक्षा में अध्ययनरत या उससे उच्च स्तर पर किसी भी कक्षा/कोर्स/डिप्लोमा /डिग्री /स्नातकोत्तर डिग्री के लिए दी जायेगी। छात्रवृत्ति पाने के लिए शर्तें, न्यूनतम अंक (प्रतिशत में) एवं राशि निम्नप्रकार है :-

1. मस्ट्रोल पर कार्य कर रहे व्यक्ति ने दिल्ली जल बोर्ड में 3 वर्ष तक लगातार 240 दिन तक संतोषजनक कार्य किया हो के उपरान्त वह छात्रवृत्ति लेने का अधिकार होगा।
2. कर्मचारी को सी श्रेणी का होना चाहिए ।

कृ.पू.उ.

Dy. Secy. 20


3. पिछली कक्षा / वर्ष में न्यूनतम अंक, (प्रतिशत में) / छात्रवृत्ति की राशि :-

क्र.स.	कक्षा (जिस के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी)	छात्रवृत्ति की राशि (रूपये प्रतिवर्ष)	पिछली कक्षा में न्यूनतम प्रतिशत प्राप्तांक
1.	कक्षा छठी से बाहरवी	6000 / -	(क) लडके-80 प्रतिशत व अधिक (ख) लडकियों-70 प्रतिशत व अधिक
2.	डिप्लोमा कोर्स व आई.टी.आई.	6000 / -	उपरोक्त
3.	सभी स्नातक कोर्स (बी.आई.एम.एस., बी.डी.एस., बी.टेक, एम.बी.बी.एस., डाक्टर इन फारमैसी, स्नातक, आर्युवैदिक व होम्योपैथिक, सी. ए. एवं एल.एल.बी. आदि)	20000 / -	(क) लडके-60 प्रतिशत व अधिक (ख) लडकियों-50 प्रतिशत व अधिक
4.	सभी स्नातकोत्तर कोर्स (एम.डी., एम.एस., एम. टेक., एम सी ए, एम. बी. ए., एल. एल. एम, एवं स्नातकोत्तर आदि)	30000 / -	उपरोक्त
5.	डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी.एच.डी.)	40000 / -	उपरोक्त

विभागाध्यक्ष केवल उन्हीं कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र इस कार्यालय को भेजें जो उपरोक्तानुसार शर्तों को पूरा करते हों। आवेदन डी.डी.ओ. के माध्यम से ही श्रम कल्याण विभाग में ही स्वीकार किये जायेंगे।

गत वर्ष के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कर्मचारियों को इस पत्र के बारे में समय पर सूचना नहीं मिलने के कारण वे समय पर आवेदन नहीं कर सके। अतः सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि कृपया इस परिपत्र के बारे में अधीनस्थ कर्मचारियों को पूरी तरह से जानकारी दी जाये तथा कार्यालयों/स्टोर्स आदि पर इसकी प्रतियाँ कर्मचारियों के सूचनार्थ नोटिस-बोर्ड पर दर्शाया जाये। यदि किसी कर्मचारी को इस बारे में सूचना नहीं मिल पाती और निर्धारित तिथि के पश्चात् उसका फार्म प्राप्त करने की तिथि तक जमा न होने की स्थिति में उसका फार्म अस्वीकृत कर दिया जाता है, तथा इसका उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

परिपत्र के साथ आवेदनफार्म भी संलग्न किया जा रहा है जिसकी जमा करने की अन्तिम तिथि-15.12.2017 होगी।



(एस. के. शर्मा)

सहायक आयुक्त (श्रम कल्याण)

सभी विभागाध्यक्ष

प्रति कृपया सूचनार्थ :

1. सदस्य प्रशासन / सदस्य वित्त / सदस्य जलापूर्ति / सदस्य ड्रेनेज
2. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3. निदेशक प्रशासन एवं कार्मिक / निदेशक राजस्व / निदेशक वित्त एवं लेखा
4. मुख्य अभियंता सी-प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ / पंचम / षष्ठम / वाटर वर्क्स
5. परामर्शदात्री जन सम्पर्क - वरुण पत्रिका में प्रकाशनार्थ
6. सभी यूनियनें।
7. EE(EDP) कृपया इन्टरनेट पर डाले



सहायक आयुक्त (श्रम कल्याण)



दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार,
कार्यालय : सहायक आयुक्त (श्रम कल्याण),
'बी' बिल्डिंग, वरुणालय, करोल बाग,
नई दिल्ली-110005

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र।

आवश्यक सूचना : कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें!

1. आवेदन - पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि 15.12.2017 है। इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. फार्म के अंत में डी.डी.ओ. के हस्ताक्षर 'मोहर सहित' होना अनिवार्य है।
3. यदि छात्र चालू वित्त वर्ष 2017-2018 में नहीं पढ़ रहा है तो वह छात्रवृत्ति का हकदार नहीं होगा। अतः ऐसे कर्मचारी छात्रवृत्ति फार्म न भरें।
4. अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन-पत्र बिना किसी सूचना के रद्द कर दिये जायेंगे।
5. पहले व दूसरे बच्चे के फार्म एक साथ लगाकर भेजे जायें।
6. जो लागू न हो उसे काट दें।

छात्रवृत्ति - 2017-18 के लिए आवेदन

खण्ड (क) : आवेदक/कर्मचारी का विवरण :-

1	कर्मचारी का नाम:		2.	पिता का नाम	
3	पद:		4	विभागीय पता	
5	कर्मचारी कोड न./ पी. एफ. न.		6	बेसिक पे (31 मार्च 2017 को)	क-प्रमोशन (हॉ/नही) ख-ए.सी.पी. (हॉ/नही)
7	नियुक्ति की प्रकृति नियमित/मस्ट्रोल'		8	नियमित नियुक्ति की तिथी	
9	मस्ट्रोल के संबंध में पिछले तीन वर्षों की हाजरी का विवरण	वर्ष हाजरी 2015-17 2014-16 2013-15	10	मोबाइल नं.	
11	कार्पोरेशन बैंक की शाखा संख्या का नाम व कोड		12	कर्मचारी का खाता संख्या	

खण्ड (ख) परिवार का विवरण :

क्र. सं.	आश्रित सदस्य का पूरा नाम	संबंध	आयु

खण्ड (ग) छात्र/छात्रा का विवरण जिसके लिए आवेदन किया है :

1	छात्र/छात्रा का नाम :		2	वर्ष 2017-18 में अध्ययनरत कक्षा का विवरण (जिस कक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जानी है)	
3	गत वर्ष 2016-17 में उत्तीर्ण की गई परीक्षा		4	गत वर्ष 2016-17 में उत्तीर्ण की गई परीक्षा का विवरण :	कुल अंक: प्राप्तांक : प्रतिशत :

घोषणा :

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि :-

- उपरोक्त दी गई सूचनायें पूर्णतः सत्य हैं
- उपरोक्त छात्र/छात्रा जिसके लिए आवेदन किया गया है मेरे प्रथम दो बच्चों में से एक हैं जो कि पूर्णतः मुझ पर आश्रित हैं।
- उपरोक्त छात्र/छात्रा ने गत वर्ष 2017-18 पूर्ण कालीन सत्र में मान्यता प्राप्त विद्यालय/कॉलेज/शिक्षण संस्थान से अध्ययन पूर्ण किया है तथा वर्तमान सत्र में भी शिक्षारत है।
- उपरोक्त बच्चे के संबंध घोषणा करता हूँ यदि मुझे इस छात्रवृत्ति की प्राप्ति के उपरांत किसी अन्य स्रोत से भी छात्रवृत्ति/ **stipend/salary or any other financial support** होती है तो मैं दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त छात्रवृत्ति को 30 दिन के अंतर्गत वापिस कर दूंगा।

क्रम सं.	संलग्न	
1.	बोर्ड में उत्तीर्ण की गई परीक्षा की अंक तालिका	
	वर्ष 2016-17 की अंक तालिका	
2.	2017-18 के सत्र में प्रवेश के भुगतान की रसीद	
3.	कार्पोरेशन बैंक जिसमें छात्रवृत्ति हस्तांतरित की जानी है के कैंसल चेक की प्रति/पासबुक के प्रथम दो पृष्ठों की छाया प्रति	
4.	मेडिकल कार्ड की छायाप्रति	
5	मार्च 2017 की वेतन तालिका	कर्मचारी के हस्ताक्षर

शैक्षिक संस्थान के प्रधानाचार्य की घोषणा :-

मैं सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त "खण्ड ग" में दिये गये सभी विवरण पूर्णतः सत्य हैं। हमारा विद्यालय/कॉलेज/शिक्षण संस्थान भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, जिसमें उपरोक्त छात्र/छात्रा द्वारा गत वर्ष 2016-17 में सरकार द्वारा मान्य कोर्स/शिक्षा पाठ्यक्रम के तहत पूर्ण कालीन सत्र में से अध्ययन पूर्ण किया है। विद्यालय से उपरोक्त छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति, stipend/salary or any other financial support नहीं दी गई है।

हस्ताक्षर :

प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक की मोहर :

विभागाध्यक्ष की घोषणा :-

क. मैंने जाँच कर ली है व कार्यालय रिकार्ड के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त "खण्ड क व ग" में दिये गये सभी विवरण सही है और श्री/श्रीमति का 31 मार्च 2017 को बेसिक पे रूपये था (जो कि 'सी' श्रेणी के अन्तर्गत आता है) और उसने सेवा में लगातार वर्ष/दिन पूरे कर लिये है ।

कर्मचारी के हस्ताक्षर

निवास स्थान :

.....

.....

हस्ताक्षर:

विभागाध्यक्ष की मोहर:

दिनांक:

स्थान :

सहायक आयुक्त (श्रम कल्याण)
दिल्ली जल बोर्ड, मुख्यालय "बी" बिल्डिंग